सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 19, मंगलवार, शाके 1943-फरवरी 08, 2022
Magha 19, Tuesday , Saka 1943- February 08, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय नगर विकास न्यास पाली

आदेश

पाली, जनवरी 05, 2022

<u>भू–उपयोग परिवर्तन आदेश</u>

संख्या न्या.पा./भू.उ.प./2021-22/647-649 :-भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की 166 वीं बैठक दिनांक 22.09.2021 में लिये गये निर्णयानुसार नगरीय क्षेत्र पाली के राजस्व ग्राम पुनायता के खसरा नम्बर 23/1/1 (नवीन खसरा नम्बर 23/3) की रकबा 6-15 बीघा एवं राजस्व ग्राम पाली चक प्रथम के खसरा नम्बर 776/3 की रकबा 1-05 बीघा में से 1-03 बीघा भूमि के सामने पाली मास्टर प्लान 2023 में प्रस्तावित 200 फीट सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 100 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय से व्यावसायिक (होटल, रिसोर्ट-पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ भू. उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता हैं :-

1. राज्य स्तरीय समिति की 166वीं बैठक दिनांक 22.09.2021 में प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अध्यारोपित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी होगीं।
2. पाली मास्टर प्लान 2023 में प्रस्तावित 200 फीट सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 100 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ी जायेगी।
3. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकृति है। आवेदक द्वारा पृथक से आवेदित भूमि पर ट्यूरिज्म यूनिट-होटल स्थापित किये जाने हेतु भवन निर्माण अनुमोदन हेतु प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधान के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करते हुए स्वीकृति उपरान्त निर्माण करवाया जा सकेगा तथा सड़क मार्गाधिकार एवं प्रचलित भवन विनियम में अनुज्ञेय निर्माण के अतिरिक्त निर्माण को नियमानुसार हटाया जाना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि पर नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति नगर विकास न्यास, पाली से प्राप्त की जानी होगी।
5. आवेदित भूमि में निर्विवादित भू-स्वामित्व, पैमाईश, क्षेत्रफल, न्यायिक वाद/विधिक रोक आदि की जांच तथा टाऊनशिप पॉलिसी, भवन विनियमों के प्रावधानों व अन्य तत्संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों आदि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही समपादित करने हेतु भू-स्वामी बाध्य रहेगा।

6. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकृति हैं। इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
7. आवेदित भूमि पर होटल/रिसोर्ट मास्टर प्लान से पूर्व का बना हुआ हैं, जिस पर भवन विनियमों के विपरित किया गया निर्माण, अवैध निर्माण की श्रेणी में आता हैं। अतः भवन विनियमों के विपरित किये गये अवैध निर्माण को हटाने की बाध्यता रहेंगी।
8. भवन विनियम के अनुसार सभी प्रकार के देय शुल्क, शास्ती जमा करानी होगी।
9. भवन विनियम के अन्य सभी आवश्यक मानदण्ड लागू होंगे।
10. प्रकरण में किसी भी स्तर पर स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो वह प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
11. आवेदक को इस भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की दिनांक 03 माह के अन्दर समस्त राशि जमा कराकर पट्टा लेना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में अगर आवेदक राशि जमा कराकर पट्टा प्राप्त नहीं करता है, तो यह भू-उपयोग परिवर्तन निरस्त माना जावेगा।

वीरेन्द्र सिंह चौधरी,

सचिव,

नगर विकास न्यास, पाली।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।